



Neutral Citation No. - 2026:AHC:65377

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7908 वर्ष 2026

भूरे खान

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: मोहम्मद अशरफ

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादी पक्ष के विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री अनुपम आनंद की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. यह जमानत याचिका आवेदक को वाद अपराध संख्या 484/2025, धारा 3, 5, 8 के तहत, गौहत्या निवारण अधिनियम, 1955, पुलिस स्टेशन खुतर, जिला शाहजहांपुर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक का नाम सह-आरोपी मुजीबुर्रहमान उर्फ नेता ने बताया था, जिसे मौके पर गिरफ्तार किया गया था। उक्त बयान, जहां तक आवेदक को फंसाता है, अविश्वसनीय है। आवेदक से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। सह-आरोपी मुजीबुर्रहमान उर्फ नेता को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1093 वर्ष 2026, मुजीबुर्रहमान उर्फ नेता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 27.01.2026 को पारित आदेश द्वारा जमानत दी गई है। आवेदक समानता का दावा करता है। आवेदक के आपराधिक इतिहास का विवरण जमानत आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे के पैराग्राफ-14 और पूरक हलफनामे के पैराग्राफ-2 में दिया गया है। आवेदक 21.11.2025 से जेल में है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. राज्य के अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया है। उनका कहना है कि आवेदक का आपराधिक रिकॉर्ड है।

5. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, इस न्यायालय की प्रथम दृष्टया यह राय है कि आवेदक का नाम सह-आरोपी मुजीबुर्रहमान उर्फ नेता ने बताया था, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार किया गया था। आवेदक से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। सह-आरोपी मुजीबुर्रहमान उर्फ नेता को इस न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. आवेदक के आपराधिक इतिहास के संबंध में, राज्य का यह मामला नहीं है कि आवेदक जांच में छेड़छाड़ कर सकता है या अन्यथा जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, या वह मुकदमे से पहले या उसके दौरान गवाहों को डरा सकता है। राज्य ने ऐसा कोई सबूत भी पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि आवेदक ने अतीत में कानून की प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया था। इस न्यायालय की राय में, यदि आरोपी अन्यथा जमानत का हकदार पाया जाता है, तो उसे केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता है, जब आपराधिक इतिहास के आधार पर जमानत से इनकार करने के लिए कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं दिखाई गई हैं। इसलिए, न्यायालय केवल आपराधिक इतिहास होने के आधार पर आवेदक को जमानत से वंचित करना उचित नहीं समझता है।

7. *अश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह, (2012) 9 एससीसी 446* में, सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-30 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“हम यह बात स्पष्ट करना चाहेंगे कि जब हम कहते हैं कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को कभी जमानत नहीं मिल सकती। लेकिन, अपराध की प्रकृति को देखते हुए, जिसके लिए उस पर मामला दर्ज किया गया है, यह एक महत्वपूर्ण कारक है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है।”

8. *प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2020 (11) एससीसी 648* के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना स्वयं जमानत से इनकार का आधार नहीं हो सकता।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. इसके अतिरिक्त, आवेदक चार महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए, मामले की खूबियों पर टिप्पणी किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

10. उपरोक्त मामले में आरोपी आवेदक- भूरे खान को व्यक्तिगत मुचलके और दो भारी जमानतदारों (आपराधिक इतिहास को देखते हुए) को समान राशि में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, इस शर्त के साथ कि वह:

- (i) ट्रायल न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा;
- (ii) अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (iii) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा;
- (iv) प्रत्येक माह के पहले रविवार को संबंधित पुलिस स्टेशन में उपस्थित होगा।

11. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन देने की स्वतंत्रता होगी।

28 मार्च, 2026

एसकेटी/

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”